प्रेस नोट **दिनांक 04/07/2026**

1. पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 04.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 414वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

2. पाक्सो एक्ट के अभियोग में नामजद एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व पीड़िता बरामद ।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.07.2026 को समय करीब 11.20 बजे पाक्सो एक्ट के अभियोग में नामजद एक नफर अभियुक्त 1. चमन प्रजापति पुत्र विरेन्द्र प्रजापति निवासी पलीगढ़ थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना के आधार पर रामपुर चकिया अंडरपास थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से गिरफ्तार तथा पीडिता को बरामद कर चालान मा0 न्यायलय किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 28.06.2026 को वादिनी मुकदमा संम्भा देवी W/O श्री भोला चौहान निवासी हकीकतपुर,थाना-दक्षिण टोला जनपद-मऊ पर लिखित सूचना दी कि उनकी भतीजी स्मार्टफोन पर सरायलखंसी के चमन प्रजापति नामक लड़के से बात करती थी,परिजनो द्वारा काफी मना करने पर भी नही मानी। दिनांक 26.06.2026 रात्रि 01.10 बजे चमन प्रजापति द्वारा मेरी नाबालिक भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था परिजनो द्वारा काफी खोजबीन के बाद न मिलने पर वादिनी मुकदमा संम्भा देवी द्वारा संदेह के आधार पर चमन प्रजापति उपरोक्त के विरुद्ध नामजद तहरीर के आधार पर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. चमन प्रजापति पुत्र विरेन्द्र प्रजापति निवासी पलीगढ़ थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 94/2026 धारा 87/137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3.पाक्सो एक्ट में एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व पीड़िता बरामद ।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.07.2026 को समय करीब 11.42 बजे पाक्सो एक्ट के अभियोग में नामजद एक नफर अभियुक्त 1. सर्वेश कुमार पुत्र कैलाश बिन्द निवासी धरवाँ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को उ0नि0 हरिकेश यादव मय हमराह आवश्यक पुलिस बल के मुखबीर खास की सूचना के आधार पर मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया तथा बरामद पीड़िता को बयान लेने के बाद उसकी माँ को सुपुर्द किया गया तथा चालान मा0 न्यायालय किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 20.06.2026 को वादी मुकदमा अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व0 सहजानन्द वर्मा निवासी रैनी थाना दक्षिण टोला मऊ ने थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ पर लिखित सूचना दी कि उनकी पुत्री जनपद गाजीपुर के सर्वेश कुमार नाम के लड़के से बात करती थी, जिसका मो0न0 7080115985 है। परिजनो द्वारा काफी मना करने पर भी नही मानती थी दिनांक 16.06.2026 को मिर्जाहादीपुर मे दवा लेने के लिए गयी थी परन्तु काफी समय बीत जाने पर परिजनो द्वारा काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिलीं। वादी मुकदमा अनिल कुमार द्वारा संदेह के आधार पर सर्वेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध नामजद तहरीर के आधार पर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सर्वेश कुमार पुत्र कैलाश बिन्द निवासी धरवाँ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

87/2026 धारा 87/137(2)/65(1)बीएनएस वन 5L/6 पोक्सो एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

4.गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 80,000/-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन vivo x300, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।